

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 26.02.2021

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

छात्रा के अर्द्धजली जीवित अवस्था मे मिलने की घटना का किया सफल अनावरण ।

दिनांक 22.02.2021 की शाम करीब 06 बजे नगरिया रिंग रोड़ पर अर्द्धजली जीवित अवस्था मे महिला मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल पीडिता को इलाज हेतु जिलाअस्पताल भर्ती कराया गया परन्तु पीडिता घटना के सम्बन्ध मे कुछ बता नहीं पा रही थी। पीडिता के बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया। इस सम्बन्ध मे श्री राजेश पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम भैसटा कलॉ थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अज्ञात अभियुक्तो के विरुद्ध थाना तिलहर पर मु0अ0स0 102/21 धारा 326/307 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

इस गम्भीर घटना पर श्री अविनाश चन्द्र अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली महोदय सहित श्री राजेश कुमार पाण्डेय पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय द्वारा घनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना का अतिशीघ्र अनावरण करने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को निर्देशित किया तथा मौके पर पुलिस टीम व फील्ड यूनिट/डॉग स्कवायड सहित पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा स्वयं गहनता के घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन किया गया एवं श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा कॉलेज एंव सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं पीडिता द्वारा अंकित कराये गये डी0डी0 (बयानों) एवं धारा 161 द0प्र0स0 धारा 161(3) द0प्र0स0 के तहत वीडियोग्राफी बयानो मे एवं पीडिता के परिजनो द्वारा घटना के सम्बन्ध मे पीडिता से की गयी जानकारी के आधार पर पीडिता ने बताया कि मेरे साथ एस0एस0 कालेज शाहजहाँपुर मे BA II वर्ष मे पढने वाली छात्रा पिंकी द्वारा अपने साथ पढने वाले मनीष एवं अपनी बुआ के लड़के राजू से मिलने के लिये भेजा तथा पीडिता से कहा कि मैं बाद मे आती हूँ। पिंकी ने पीडिता को इन लोगो से ग्राम राईखुर्द स्थित आम की बगिया मे मिलने के लिये भेज दिया।

पीडिता के पिता पीडिता को हमेशा अपने साथ मोटरसाईकिल पर कॉलेज लाते-लेजाते थे एवं कॉलेज टाइम मे कॉलेज के गेट पर बैठकर छुट्टी होने का इन्तेजार करते थे। घटना वाले दिन कॉलेज के मेन गेट पर पिता के होने के कारण पीडिता कॉलेज की टूटी दीवार के रास्ते से अपने पिता की नजरो से बचते हुए कॉलेज से निकलकर घटनास्थल की तरफ अकेले ही चली गयी जिसकी पुष्टि कालेज एवं शहर मे अलग अलग जगह लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज से हुई। इसी बीच अभियुक्त मनीष, सुभाष आदि भी स्कूल से चले गये थे। तथा आम की बगिया मे पहुँचकर पीडिता को अकेले पाकर अभियुक्तों द्वारा पीडिता ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया तथा विफल होने पर जलाकर हत्या करने की कोशिश की।

बयानो एवं विवेचना के आधार पर अभियोग मे अभियुक्ता पिकी एवं अभियुक्त मनीष, सुभाष एवं राजू के नाम प्रकाश मे आने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियोग में धारा 376D/511/120B/201 भादवि की वृद्धि कर अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा हैं। अन्य बिन्दुओ पर गहनता से विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभि0गण का विवरण:-

- 1-मनीष पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम मौजमपुर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
- 2-राजू पुत्र भिकमलाल निवासी ग्राम खाढेपुर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 3-सुभाष पुत्र ईश्वर चन्द्र निवासी मो0 गढ़ी गाढ़ीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
- 4-पिकी पुत्री राम सिंह निवासी मो0 गढ़ी गाढ़ीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक प्रवीन सोलंकी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 2-व0उ0नि0 सुभाष कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 3-उ0नि0 पवन कुमार पाण्डेय थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 4-उ0नि0 अमित चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 5-उ0नि0 महेश सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 6-म0उ0नि0 चन्द्रा चमचा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
- 7-का0 यतेन्द्र चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 8-का0 रोहित सांगवान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 9-म0का0 2393 कोमल थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर